

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12/9/2013

का.आ. (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 सितंबर, 2013 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

क्रम सं.	धारा
1.	धारा 2 खंड (1) ; खंड (3) से खंड (6) (दोनों सहित) ; खंड (8) से खंड (12) (दोनों सहित) ; खंड (14) से खंड (22) (दोनों सहित) ; खंड (24) से खंड (28) (दोनों सहित) ; खंड (29) [उपखंड (iv) के सिवाय] ; खंड (30) ; खंड (32) से खंड (40) (दोनों सहित) ; खंड (43) से खंड (46) (दोनों सहित) ; खंड (49) से खंड (61) (दोनों सहित) ; खंड (63) से खंड (66) (दोनों सहित) ; खंड (67) [उपखंड (ix) के सिवाय] ; खंड (68) से खंड (82) (दोनों सहित) ; खंड (84) ; खंड (86) ; खंड (87) ; [परंतुक और स्पष्टीकरण (घ) के सिवाय] ; खंड (88) और खंड (89) ; खंड (90) से खंड (95) (दोनों सहित) ;
2.	धारा 19 ;
3.	धारा 21 ;
4.	धारा 22 ;
5.	धारा 23 [उपधारा (1) का खंड (ख) और उपधारा (2) के सिवाय] ;
6.	धारा 24 ;

क्रम सं.	धारा
7.	धारा 25 [उपधारा (3) के सिवाय] ;
8.	धारा 29 से धारा 32 (दोनों सहित) ;
9.	धारा 33 [उपधारा (3) के सिवाय] ;
10.	धारा 34 ;
11.	धारा 35 [उपधारा (1) के खंड (ङ) के सिवाय] ;
12.	धारा 36 से 38 (दोनों सहित) ;
13.	धारा 39 [उपधारा (4) के सिवाय] ;
14.	धारा 40 [उपधारा (6) के सिवाय] ;
15.	धारा 44 और धारा 45 ;
16.	धारा 49 से धारा 51 (दोनों सहित) ;
17.	धारा 57 से धारा 60 (दोनों सहित) ;
18.	धारा 65 ;
19.	धारा 69 ;
20.	धारा 70 [उपधारा (2) के सिवाय] ;
21.	धारा 86 ;
22.	धारा 91 ;
23.	धारा 100 [उपधारा (6) के सिवाय] ;
24.	धारा 102 ;
25.	धारा 103 ;
26.	धारा 104 ;
27.	धारा 105 [उपधारा (1) के तीसरे और चौथे परंतुक और उपधारा (7) के सिवाय] ;
28.	धारा 106 ;
29.	धारा 107 ;

क्रम सं.	धारा
30.	धारा 111 ;
31.	धारा 112 ;
32.	धारा 113 [उपधारा (1) के खंड (ख) के सिवाय] ;
33.	धारा 114 ;
34.	धारा 116 ;
35.	धारा 127 ;
36.	धारा 133 ;
37.	धारा 161 [उपधारा (2) के सिवाय] ;
38.	धारा 162 और धारा 163 ;
39.	धारा 176 ;
40.	धारा 180 से धारा 183 (दोनों सहित) ;
41.	धारा 185 ;
42.	धारा 192 ;
43.	धारा 194 ;
44.	धारा 195 ;
45.	धारा 202 ;
46.	धारा 379 ;
47.	धारा 382 और धारा 383 ;
48.	धारा 386 [उपखंड (क) के सिवाय] ;
49.	धारा 394 ;
50.	धारा 405 ;
51.	धारा 407 से धारा 414 (दोनों सहित) ;

क्रम सं.	धारा
52.	धारा 439 ;
53.	धारा 443 से धारा 453 (दोनों सहित) ;
54.	धारा 456 से धारा 463 (दोनों सहित) ;
55.	धारा 467 से धारा 470 (दोनों सहित)

[फा.सं.1/15/ 2013-सीएल. v]

रेणुका कुमार  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section -(ii)]

Government of India  
Ministry of Corporate Affairs  
Notification

New Delhi, the 12th Sep 2013

S.O. \_\_\_\_\_(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 12<sup>th</sup> day of September, 2013 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely :-

SL. No.	Section
1.	Section 2 clause (1); clauses (3) to (6) (both inclusive); clauses (8) to (12) (both inclusive); clauses (14) to (22) (both inclusive); clauses (24) to (28) (both inclusive); clause (29) [except sub-clause (iv)]; clause (30); clauses (32) to (40) (both inclusive); clauses (43) to (46) (both inclusive); clauses (49) to (61) (both inclusive); clauses (63) to (66) (both inclusive); clause (67) [except sub-clause (ix)]; clauses (68) to (82) (both inclusive); clause (84); clause (86); clause (87) [except the proviso and Explanation (d)], clauses (88) and (89); clauses (90) to (95) (both inclusive);
2.	Section 19;
3.	Section 21;

SL. No.	Section
4.	Section 22;
5.	Section 23 [except clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2)];
6.	Section 24;
7.	Section 25 [except sub-section (3)];
8.	Sections 29 to 32 (both inclusive);
9.	Section 33 [except sub-section (3)];
10.	Section 34;
11.	Section 35 [except clause (e) of sub-section (1)];
12.	Sections 36 to 38 (both inclusive);
13.	Section 39 [except sub-section (4)];
14.	Section 40 [except sub-section (6)];
15.	Sections 44 and 45;
16.	Sections 49 to 51 (both inclusive);
17.	Sections 57 to 60 (both inclusive);
18.	Section 65;
19.	Section 69;
20.	Section 70 [except sub-section (2)];
21.	Section 86;
22.	Section 91;
23.	Section 100 [except sub-section (6)];
24.	Section 102;
25.	Section 103;
26.	Section 104;
27.	Section 105 [except the third and fourth proviso of sub-section (1) and sub-section (7)];
28.	Section 106;
29.	Section 107;
30.	Section 111;
31.	Section 112;

SL. No.	Section
32.	Section 113 [except clause (b) of sub-section (1)];
33.	Section 114;
34.	Section 116;
35.	Section 127;
36.	Section 133;
37.	Section 161 [except sub-section (2)];
38.	Sections 162 and 163;
39.	Section 176;
40.	Sections 180 to 183 (both inclusive);
41.	Section 185;
42.	Section 192;
43.	Section 194;
44.	Section 195;
45.	Section 202;
46.	Section 379;
47.	Sections 382 and 383;
48.	Section 386 [except clause (a)];
49.	Section 394;
50.	Section 405;
51.	Sections 407 to 414 (both inclusive);
52.	Section 439;
53.	Sections 443 to 453 (both inclusive);
54.	Sections 456 to 463 (both inclusive);
55.	Sections 467 to 470 (both inclusive).

[File No. 1 / 15 /2013-CL. V]

  
RENUKA KUMAR,  
Joint Secretary to the Government of India